आवेदन क्रमांक	आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

Ujjain Sahakari Dugdh Sangh Maryadit, Ujjain

राज्य स्तरीय साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) विक्रय सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा प्रपत्र

वर्श 2018–19

उज्जैन सहकारी दुग्ध संध मर्यादित, उज्जैन

मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001

दूरभाश – 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)
दूरभाश – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु ई–निविदा सूचना।

मध्य प्रदे ा राज्य में साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) के सुव्यवस्थित वितरण के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु ई–निविदा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदाकार रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) ऑन लाईन भुगतान कर म.प्र. सरकार की ई–टेंडरिंग वेबसाईड http://www.mpeproc.gov.in पर दिनांक 26/03/2018 प्रातः 11:00 बजे से ऑन लाईन क्रय कर सकते है। निविदा दिनांक 19/04/2018 को अपरान्ह 1:00 बजे तक जमा की जा सकती है।

फॉर्म के साथ ई.एम.डी. रा ि रूपये 1,00,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन'' के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

भोश विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईड http://www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

सुपर स्टॉकिस्ट (साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल))

एजेंसी अवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26/03/2018 प्रातः 11:00 बजे
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	19/4/2018 दोपहर 11:00 बजे तक
3	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	19/04/2018 दोपहर 01:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	19/04/2018 दोपहर 3:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	1,00,000=00 (एक लाख मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/– (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	लिफाफा "A"
9	सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्ते का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
10	फर्म की विस्तृत जानकारी	प्रपत्र – 03
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04
12	कमीशन दर संरचना	प्रपत्र – 05

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताएं'' प्रपत्र क्रमांक 01 ''सामन्य शर्त एवं अनुबंध प्रपत्र 02 – 03 '' बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ''साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी. पी. बॉटल) सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेशक का नाम पता अंकित किया जावे।
- निविदा में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत की गई निविदाएं मान्य नहीं किये जावेंगे।
- निविदाकार द्वारा प्रपत्र – 01 प्रपत्र 02 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत की जावे।

(तकनीकी अर्हताएं)
प्रपत्र 01

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आव यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की द ा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनर ीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की द ा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।		GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न
6	साँची दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु उपलब्धता वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्श की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्श (कर निर्धारण वर्श 2014–15 एवं 2015–16, 2016–17) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)

नोटः—

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमाक 01 आवेदन की भार्ते एवं प्रपत्र क्रमांक 02 में प्रस्तुत की जा रहीं है।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर साँची सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर अमानत रा‍ि ा राजसात की जा सकेगी जो मान्य है।

हस्ताक्षर ....

नाम——————————————

पता——————————————
——————————————
——————————————
दूरभाश नम्बर ——————————————
मोबाईल नम्बर ——————————————

(टेक्नीकल बीड)

प्रपत्र क्रमांक – 02

<u>साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) सुपर स्टॉकिस्ट निविदा हेतु आव यक भार्तें</u>

1. निविदाकार को निविदा के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 1,00,000/– (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) डी.डी. /नगद आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।

3. सुपर स्टॉकिस्ट को संघ में प्रतिभूति/अमानत रा ि नगद रू. पांच लाख एवं दस लाख की बैंक ग्यारंन्टी अथवा संयुक्त नाम से FDR जमा कराना होगी।

4. सुपर स्टॉकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वर्शों में वर्श में कम से कम रू. 10 करोड़ वार्शिक का टर्न ओव्हर होना आव यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु उसे विक्रय कर निर्धारित हेतु प्रस्तुत किये गये लेखों की प्रति एवं बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।

5. सुपर स्टॉकिस्ट को माल के व्यवस्थित एवं भीतलीकृत भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम तीन–चार वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस सबंध में आव यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रे ान भी जमा करवाने होगें।

6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार माल का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।

7. संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले माल की रा ि का भुगतान संघ की निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु रा ि की व्यवस्था सुपर स्टॉकिस्ट को अपने खाते में सुनि चत करना होगी।

8. सुपर स्टॉकिस्ट को पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृश्टि से सुनि चत कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले प चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट की हानि की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित भार्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडि ायल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को दो वर्श के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्प चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ती, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोश जनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक–एक वर्श की तीन वर्श तक वृद्धि की जा सकेगी।

10. संघ से सीधे पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

11. संघ से क्रय की गई पनीर एवं फ्लेवर्ड की मात्रा की रा ि ा RTGS के माध्यम से संघ के खाते में जमा करवानी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा संघ में जमा बैंक ग्यारंटी/ FDR की 80% रा ि ा का माल ही प्रदाय से किया जावेगा।

12. सुपर स्टॉकिस्ट को मध्यप्रदे ा राज्य में निर्दे ा अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आव यक होगा।

13. सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते है उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी रा ि ा मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावगी, उसकी 50% रा ि ा संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट जमा अमानत रा ि ा जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

14. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 10 विक्रय प्रतितिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा राज्य हेतु रखना होगा एवं आव यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।

15. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमो ान में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आव यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।

16. किसी भी निविदा का बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। आव यकता प्रतिपादित होने पर सभी अथवा किसी भी निविदाकार से नेगोि ाए ान कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

17. प्राप्त निविदा की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं समस्त निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।

18. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणव ा कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

मेरे द्वारा साँची पनीर एवं फलेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा की समस्त भार्ते एवं अनुबंध की भार्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी भार्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित भार्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्रमांक – 03

मध्यप्रदे ा राज्य में साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

1. निविदाकार का नाम – ....

2. पिता/पति का नाम – ....

3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) – ....
   दूरभाश नं. / मोबाईल नं. – ....
   पेन कार्ड नं. – ....

4. भौक्षणिक योग्यता – ....

5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि फर्म पार्टनरशि ाप है ता पार्टनरशि ाप फर्म की पूर्ण जानकरी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। – ....

6. वर्तमान व्यवसाय – ....

7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर – ....
   (टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – ....
   (अ) चल अचल संम्पति का ब्योरा – ....
   (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में जमा राि ा – ....
   (गत तीन वर्श का आयकर विवरण संलग्न करें।)

9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आव यक — ....
पूँजी की व्यवस्था — ....

10. (अ) पेन नम्बर — ....
(ब) जी.एस.टी. नम्बर — ....

11. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का वाहन— ....
होना आव यक) वाहन के पंजीयन — ....
की छायाप्रति संलग्न करें, अथवा — ....
विवरण दे।

12. भीतलीकृत भण्डारण हेतु — ....
वर्तमान क्षमता / व्यवस्था — ....

13. धरोहर / ई.एम.डी. राि ा — रू...
डी.डी. / एम.आर.नं — ....

दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता
....
....
....
....

प्रपत्र क्रमांक – 04
(अनुबंध भार्तों का प्रारूप)

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित भार्तों पर साँची इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निशपादित किया जाता हैं –

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा राज्य के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्श की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जैसे कार्य संतोशप्रद होने पर आगामी एक–एक वर्श के लिए तीन वर्शों तक बढ़ाया जा सकेगा।

2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति स्वरूप रा ि रू. 4,00,000/– (अक्षरी रूपये चार लाख मात्र) नगद एवं रूपये 6 लाख की बैंक ग्यारंटी जमा की गई हैं, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा प चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविश्य में प्रतिभूति रा ि में वृद्धि हेतु निर्दे ित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति/अमानत रा ि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति रा ि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) की रा ि आर.टी.जी.एस. के द्वारा दैनिक रूप से 100% संघ खाते में ट्रांसफर करायी जाएगी। अथवा अग्रिम चेक (भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) संघ कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को उनकी जमा बैंक ग्यारटी का 80% का माल प्रदाय किया जा सकेग, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य होगा।

5. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई में गिनकर वितरक/विक्रेताओं को प्रदाय करेंगे एवं रा ि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ले इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से दैनिक नियत समयावधि के मध्य दिन में दो बार पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का प्रदाय किया जावेगा।

6. यह कि प्रथम पक्ष/संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का प्रदाय डेयरी सयंत्र से जिस भीतलीकृत/गुणवत्ता तापमान में प्रदाय

किया जावेगा, उसे वितरक/विक्रेताओ को उसी भीतलीकृत/गुणवत्ता तापामान में प्रदाय करना होगा, जिस हेतु सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरण में प्रयुक्त वाहन भीतलीकृत यंत्र युक्त होना चाहिए, अन्यथा किसी भी वितरक/विक्रेता से गुणवत्ता तापमान संबंधी ि ाकायत प्राप्त होती हैं, अथवा पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) की गुणवत्ता खराब होती है तो इस हेतु सुपर स्टॉकिस्ट जिम्मेदार माना जावेगा, वितरक विक्रेताओं की हानि की पूर्ति हेतु जिम्मेदार रहेंगा।

7. यह कि प्रथम पक्ष यह महसूस करे कि द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा सॉची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का वितरण/ विक्रय सभी क्षेत्रों/वितरकों/विक्रेताओं को समान रूप से उनकी मांग ओर समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से या अन्य स्त्रोत से वितरको/विक्रेताओं को पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/ सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेन्सी समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। लक्ष्य पूर्ति नहीं होने से संघ की विक्रय प्रगति बाधित मानी जावेगी, तथा सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी समाप्त की जावेगी।

9. यह कि प्रथम पक्ष/ दुग्ध संघ द्वार द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट वार्शिक विक्रय लक्ष्य आवंटित किये जावेगें, जिनकी समीक्षा प्रति तीन माह में की जावेगी, दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी निरस्त की जा सकेगी, जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं किया जावेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कमी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेंसी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में सं ाोधन नहीं किया जावेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) मात्रा का लेखा–जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष /संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।

13. यह कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैंकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुश्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्रं से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी प चात किसी भी प्रकार ि ाकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।

14. यह कि यदि स्थानीय क्षैत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आव यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक भाास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति रा‍ि ा से की जावेगी।

16. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी भाासकीय, अर्द्ध ाासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद ईकाई (इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल)) देंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) नही देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाश पर एवं प चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी। साथ ही सेम्पल हेतु दी जा रही ईकाई का तापमान उक्त दस्तावेजों पर अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

17. यह कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इंडिजिनियस पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल) का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। यदि किसी आकास्मिक परिस्थिति में ऐसा किया जाता है तो उस प्रदायगी पर सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन का भुगतान ही किया जावेगा।

18. यह कि द्वितीय पक्ष ''साँची पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल)'' के वितरण / विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे–छोटे व्यापारियों / वितरक / विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससें सॉची ब्राण्ड पनीर एवं फ्लेवर्ड मिल्क (पी. पी. बॉटल) के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।

19. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोशप्रद होना आव यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।

20. यह कि उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभाव ील रहेगा।

21. यह कि उपरोक्त भार्तों में व्यवहारिक आव यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

22. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध सहकारी मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।

उपरोक्त भार्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण हों ा–हवास में उज्जैन सहाकरी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निश्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन – 456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
सुपर स्टॉकिस्ट (दुग्ध पदार्थ)

नाम...
पता ....
....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम : ....
पताः...

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2
नाम : ....
पताः...

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम :...
पताः ....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2
नाम :...
पताः ....

प्रपत्र क्रमांक – 05
(कमी ान दर संरचना प्रारूप)

सुपरस्टाकिस्ट दर					
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन					
दर सरंचना साँची फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल)					
साँची दुग्ध उत्पाद –					
विवरण	पैकिंग	सुपरस्टाकिस्ट दर	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
फ्लेवर्ड मिल्क (पी.पी. बॉटल)	200 एम.एल.	18.00	18.70	20.00	25.00
पनीर	250 ग्राम	61.50	62.50	65.00	70.00
	500 ग्राम	123.00	125.00	130.00	140.00
	1 कि.ग्रा.	253.30	257.00	264.50	280.00
	5 कि.ग्रा.	1275.00	1292.00	1327.50	1400.00